न्यायालय जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर

अपील(सू.का.अ)संख्या 75/2023 बउनवानी देवी लाल बनाम लो.सू.अधि.एवं तहसीलदार सवाईमाधोपुर
पुत्र सुखलाल बैरवा निवासी लवकुश कॉलोनी खेरदा, तहसील सवाईमाधोपुर
GCMS No-2023/159

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज
19.12.2023	पत्रावली आज पेश हुयी। अपीलान्ट नियत दिनांक को उपस्थित नही। लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार सवाईमाधोपुर की ओर से पैरोकार राजस्व उपस्थित। अपीलान्ट द्वारा सूचना चाहने हेतु दिनांक 03.10.2023 लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार सवाईमाधोपुर के कार्यालय में अधिनियम की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना पत्र प्रेषित कर प्रार्थना पत्र मे उल्लेखित निम्नांकित सूचनाऐं उपलब्ध कराये जाने हेतु निवेदन किया गयाः—

1. सुन्दर लाल पुत्र बालूराम बैरवा निवासी बलवन खुर्द हाल निवासी रेल्वे कॉलोनी सवाईमाधोपुर के नाम की कृषि भूमि ख0न0 247 रकबा 0.85 है0 गैर खातेदारी है उक्त भूमि कब खातेदारी मे दर्ज हुई है उस वर्ष की जमाबन्दी सम्वत् 2047—2051 एवं 2052—2055 तहसील स0मा0 की उपलब्ध करावे।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में उल्लेखित सूचना, लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार सवाईमाधोपुर द्वारा अपीलान्ट को अन्दर मियाद उपलब्ध नही कराये जाने के कारण उक्त अधिनियम की धारा 19(1) के तहत प्रथम अपील इस न्यायालय मे प्रस्तुत की गयी जो दर्ज रजिस्टर की जाकर सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार सवाईमाधोपुर को तत्काल सूचना उपलब्ध कराने हेतु आदेशित किया गया साथ ही सम्बन्धित उभयपक्षों की सुनवायी तलबी जरिये नोटिस की गयी।

नियत पेशी पर अपीलान्ट उपस्थित नही। पैरोकार राजस्व द्वारा तहसीलदार सवाईमाधोपुर के जवाब नोटिस क्रमांक/आरटीआई/23/398 दिनांक 11.12.2023 की ओर ध्यान आकर्षित कर कथन किया कि तहसीलदार सवाईमाधोपुर द्वारा जरिये पत्रांक 368 दिनांक 06.11.2023 से बिन्दु संख्या की सूचना के संबंध में वस्तुस्थिति से अवगत कराया जा चुका है कि सम्वत् 2047—2051 एवं 2052—2055 के दौराने सेटलमेंट की कार्यवाही जैरकार होने के कारण तत्समय की जमाबन्दी तैयार नही हुई थी ऐसी स्थिति में उक्तानुसार चाहे गये सम्वत् की जमाबन्दी अपीलान्ट को दिया जाना सम्भव नही है। अतः अपील खारिज किये जाने बाबत पैरोकार राजस्व द्वारा निवेदन किया गया।

पैरोकार राजस्व द्वारा किये गये कथन एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन व मनन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ, कि अपीलान्ट के प्रार्थना पत्र दिनांक 3.10.2023 मे चाही गयी सूचना (जमाबन्दी सम्वत् 2047—2051 एवं 2052—2055 सेटलमेंट की कार्यवाही जैरकार होने के कारण तैयार नही की गयी थी) तहसील कार्यालय सवाईमाधोपुर में उपलब्ध नही होने के कारण सूचना दिया जाना सम्भव नही है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे। आदेश खुले न्यायालय मे सुनवाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Ola
Date: 2024.01.10 12:07:57 IST
Reason: SelfAttested

(सुरेश कुमार ओला)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर